कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/2440 भोपाल, दिनांक 04/3/19

— आदेश —

श्री डी0के0मडोईया, अंकेक्षण अधिकारी शिवपुरी के द्वारा सेवा सहकारी संस्था मर्या0 पीरोठ जिला शिवपुरी के प्रशासक के रूप में श्री बलवीर यादव को विक्रेता के रूप में नियुक्त कर मुख्यालय के परिपत्र कमांक/विधि/2018/134 दिनांक 13.03.2018 का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया जाकर अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई । इस प्रकार श्री मडोईया का उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का घोर उल्लघंन है।

अतः म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत श्री डी0के0मडोईया, अंकेक्षण अधिकारी शिवपुरी को विभागीय जांच की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला अशोकनगर नियत किया जाता है ।

निलंबन अवधि में श्री मडोईया, को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/2440 भोपाल, दिनांक 04/3/19

प्रतिलिपि—

01— प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।

02— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल।

03— संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग ग्वालियर ।

04— उप आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी/अशोकनगर ।

05— सहायक आयुक्त सहकारिता, आई.टी.शाखा मुख्यालय को विभागीय पोटर्ल में अपलोड करने हेतु।

06— स्थापना 01, मुख्यालय ।

07— श्री डी0के0मडोईया, अंकेक्षण अधि0 द्वारा—उपायुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ म0प्र0